UPBJ120025482026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर
सरकार बनाम वीरवती आदि
जमानत प्रार्थना पत्र– 553/2026
मु.अ.सं.– 443/2026
धारा– 191(2),190,115(2),351(2),118(1) बी.एन.एस
थाना– चाँदपुर, बिजनौर
05.08.2026

प्रार्थीगण **1.वीरमवती पत्नी यशपाल 2.यशपाल पुत्र पतराम सिंह** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु.अ.सं. **443/2026**, अन्तर्गत **धारा 191(2), 190, 115(2), 351(2), 118(1) बी.एन.एस**, थाना **चाँदपुर,** जिला बिजनौर में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण वाद उपरोक्त में अभियुक्तगण है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण उपरोक्त अपराध में दौरान विचारण अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर जिस अपराध का अभियोग है वह मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले पर गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **1.वीरमवती पत्नी यशपाल 2.यशपाल पुत्र पतराम सिंह** मु.अ.सं.–**443/2026** अन्तर्गत **धारा 191(2), 190, 115(2), 351(2), 118(1) बी.एन.एस**, थाना **चाँदपुर**, जनपद बिजनौर, द्वारा 25,000–25,000/–रूपये की एक–एक प्रतिभू व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

अरूण कुमार राणा
न्यायिक मजिस्ट्रेट,चांदपुर
बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.08.05 16:11:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court